"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017—वैशाख 15, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्रमांक ई 1-01-2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. (2012), उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा संचालक, ग्रामीण आवास एवं अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, ग्रामीण आवास का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. द्वारा अपर आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के असंवर्गीय पद का राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गोविंदराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2004), कलेक्टर, सूरजपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005), कलेक्टर, कोरिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री के. सी. देवासेनापति, भा.प्र.से. (2007), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना आजीविका कालेज सोसायटी तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् कलेक्टर, सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), संचालक, लोक शिक्षण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् कलेक्टर, कोरिया के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2017

क्रमांक 637/LV-1-222-2017-March/1-8/स्था.—श्री जीवन सिंह राजपूत, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) को दिनांक 11-03-2017 से 26-03-2017 तक 16 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जीवन सिंह राजपूत आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जीवन सिंह राजपूत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जीवन सिंह राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 1-1/2016/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिनांक 14 अप्रैल, 2017 दिन शुक्रवार को "डॉ. भीमराव अम्बेडकर" जयंती के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2017

क्रमांक 772/परि.वि./टीसी./17.—परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना संबंधी नियम, एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं :—

छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1
(1) इस नियमावली को छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 कहा जायेगा.
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी.

सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना. — 2
(1) छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की स्थिति में प्राप्त परिसम्पत्ति के अन्तर्गत गृह विभाग को सड़क सुरक्षा कोष के लिए प्राप्त धन सड़क सुरक्षा कोष कहलायेगा.
(2) पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किये गये शमन शुल्क के 100 प्रतिशत राशि सड़क सुरक्षा कोष में जमा होगी.
(3) पुलिस विभाग द्वारा कोई राशि निधि में सीधे जमा न करते हुये वर्तमान प्रक्रिया अनुसार उपयुक्त मद में ही जमा की जाती रहेगी. तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष उसके पूर्व वित्तीय वर्ष में जमा की गई राशि की समतुल्य राशि की 100 प्रतिशत राज्य की संचित निधि से उक्त निधि जो लोकलेखा के अंतर्गत निर्मित निधि होगी, को हस्तांतरित की जावेगी.
(4) यदि कोई वित्तीय अंशदान छत्तीसगढ़ सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोष में किया जाता है, तो वह भी इस कोष में जमा कराया जायेगा.

कोष के उपयोग के संबंध में. — 3
कोष के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव का निर्धारण कोष प्रबंधन समिति के द्वारा किया जावेगा.
इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं, हेतु किया जावेगा :—
(1) समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और नगरीय मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचरण एवं मार्ग उपभोक्ताओं के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना.
(2) सड़क दुर्घटना के रोकथाम के उपाय करना, आंकड़े एकत्रित करना और उनका सामयिक विश्लेषण करना.
(3) यातायात नियमों की जानकारी देना एवं जनसामान्य में इस हेतु जागरूकरता पैदा करना.
(4) सड़क दुर्घटनाओं के प्रवर्तन और नियंत्रण हेतु संयंत्रों की व्यवस्था करना.
(5) यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु आवश्यक उपाय करना. यातायात उपकरणों का क्रय एवं उनका रखरखाव.
(6) यातायात नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों, दूरसंचार उपकरण, CCTV आदि का क्रय एवं रख रखाव.
(7) सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कोई सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अथवा यांत्रिकी उपाय/कार्य जो समिति द्वारा उचित समझा जावे.
(8) आम जनता, वाहन चालकों, विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों आदि के लिये सुरक्षित यातायात हेतु जागरूकता, प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सेमीनार, कार्यशाला इत्यादि का आयोजित करना.
(9) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना.
(10) दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एम्बुलेंस तथा अन्य उपकरणों आदि की व्यवस्था.
(11) सड़क दुर्घटना के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात् उनको सही करने/सुधार करने के उपाय निकालना तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन एवं सुधार करना.

(12) ड्राईविंग लाईसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना.
(13) व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जांच हेतु परिवहन कार्यालयों में समुचित व्यवस्था करना.

परिभाषायें 4 जब तक किसी सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस निमयावली में :—
(1) "कोष" का तात्पर्य "छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष" से है.
(2) "अधिनियम" का तात्पर्य "मोटरयान अधिनियम, 1988" से है.
(3) "राज्य" का तात्पर्य "छत्तीसगढ़ राज्य से" है.

कोष के स्त्रोत 5 (1) पुलिस विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि समेकित निधि के लेखाशीर्ष "0041-वाहन कर-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत 0766-समन शुल्क-103 जुर्माना आदि से प्राप्तियॉं-0301-परिवहन विभाग द्वारा वसूली गयी धनराशि-0302-पुलिस विभाग (यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस) द्वारा वसूली गयी धनराशि."
(2) छ.ग. शासन अथवा भारत शासन से प्राप्त वित्तीय अंशदान.

प्रादेशिक सीमा 6 ऐसे कार्य जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य हैं, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में किये जा सकेंगे.

कोष की प्रबन्धन समिति 7 (1) इस कोष के लिये गृह विभाग प्रशासनिक विभाग होगा और यह कोष निम्नवत् गठित समिति द्वारा संचालित किया जायेगा :—
(i) पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़.
(ii) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, छ.ग.
(iii) अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़
(iv) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, छ.ग.
(v) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़
(vi) संचालक लोक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़
(vii) संचालक स्कूल शिक्षा सेवाएं, छत्तीसगढ़
(viii) संचालक शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.
(ix) आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग.

कोष की प्रबन्धन समिति के अधिकार और कर्त्तव्य. 8 (1) समिति इस कोष से वित्त पोषित योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी.
(2) समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी.
(3) समिति नियमावली के अनुसार कोष के लेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करेगी.

कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें. 9 कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें निम्नवत् होंगी :—
(1) योजनाओं का चयन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा.
(2) कोष की धनराशि से केवल ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा, जिन्हें केवल एक बार में ही पूरा किया जा सके.
(3) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सामान्य कार्मिकों के वेतन तथा स्थापना/कार्यालय व्यय का वेतन भुगतान कोष प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोपरान्त कोष से किया जायेगा.
(4) कोष से सम्बंधित किसी भी धन राशि का विनिधान किसी भी दशा में ब्याज अर्जित करने के लिये सावधि जमा योजना में रखने अथवा ऋण पर देने के उद्देश्य से नहीं किया जायेगा.
(5) कोष से स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है.

कोष की प्रबन्धन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया. 10 (1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात), सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव एवं योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें कोष प्रबन्धन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे.
(2) कोष प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिये जाने के उपरान्त वित्त पोषण के लिये औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां गृह विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी.

कोष वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व.	11	(1)	योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक कार्यों का समन्वय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) द्वारा किया जाएगा. कोष से वित्त पोषित उपयोगी उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत आदि का सही-सही क्रियान्वयन कराने व नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा.
		(2)	सम्बन्धि विभागाध्यक्ष अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं के सफल, क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे. वे योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे. योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व सम्बंधित विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी का होगा:
कोष का अनुरक्षण और सम्परीक्षा.	12	(1)	पुलिस मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ वित्तीय हस्त-पुस्तिका के प्रावधानों एवं कोषगार नियमों के अनुसार कोष से उपगत व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा जाएगा तथा उसका पुनर्मिलान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर के अभिलेखों से किया जाएगा. वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व पुनर्मिलान कार्य सम्पादित किये जाने के साथ ही समायोजनों से संबंधित आदेश समसामयिक रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ रायपुर को उपलब्ध करा दिया जाएगा.
		(2)	कोष में अन्तरित धनराशि में से वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष/अनुपयोगित धन का राज्य के समेकित कोष में समर्पण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था होगी कि राजस्व लेखे से लोक लेखे की जो धनराशि अन्तरित की जायेगी, उस धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जायेगा. अनुपयोगी होने की दशा में वह धनराशि कोष में बची रहेगी. ऐसी धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित नहीं किया जायेगा.
		(3)	कोष की धनराशि को परियोजना में विनिवेश नहीं किया जायेगा.
		(4)	इस लेखा की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा की जायेगी.
		(5)	कोष से आय तथा कोष से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा.
		(6)	कोष में छत्तीसगढ़ शासन से बजट के माध्यम से प्राप्त आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष में निर्धारित कार्यों/मदों में वित्तीय वर्ष के अन्त खर्च नहीं की जा सकी है, तब अवशेष धनराशि का समर्पण निश्चित अवधि के भीतर लेखाशीर्ष में किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ रायपुर को उपलब्ध करा दिया जाएगा.
		(7)	यदि नियमावली में कोई उपान्तर/परिवर्तन/संशोधन करना हो, तो वह महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की पूर्व सहमति से किया जायेगा.

No. 772/Tran./TC/2017.—Transport Department hereby published rules related to establishment of Road Safety Fund.

Chhattisgarh Road Safety Fund Rules, 2017

Short title and commencement	1	(1)	This manual shall be called Chhattisgarh Road Safety Fund Rules, 2017.
		(2)	It shall come into force from the date of publication in the Gazette.
Establishment of Road Safety Fund	2	1.	The amount received by the Home Department for Road Safety Fund from the assets received at the time of formation of the state of Chhattisgarh shall be called Road Safery Fund.
		2.	100 percent amount of compounding fee levied by Police department under MV Act shall be deposited into the Road Safety Fund.

3. The Police department shall not deposit and any amount in the fund directly and shall deposit the amount as per existing process under appropriate head. Thereafter each year the amount equivalent to 100 percent amount deposited in the previous financial year shall be transferred from the Consolidated Fund of the State into the said Fund established under the Public Account.
4. If any financial grant is made into the Fund by the Government of India or Government of Chhattisgarh, it shall also be deposited in this Fund.

Regarding the Use of Fund — 3 The decision on proposal for use of the Fund shall be made by the Fund Management Committee.

The amount deposited in the Fund shall be used for road safety related works which include the following :—

(1) Take all necessary steps for safe operation of road users and vehicles on all NH, SH and Urban road.

(2) Take measures for prevention of road accidents, collection and appropriate analysis of data.

(3) Give information about traffic rules and create awareness in general public regarding these.

(4) Make arrangement of equipments for enforcement and control of road accidents.

(5) Take necessary steps to make traffic smooth and safe. Procurement and maintenance of traffic equipments.

(6) Procurement and maintenance of different types of vehicles, telecommunication equipments, CCTV etc for control of traffic.

(7) Any other IT based or mechanical work/solution related to road safety as deemed appropriate by the Committee.

(8) Organize publicity, training programs and seminars, workshop etc for awareness about safe traffic for general public, vehicle drivers and police officers and staffs etc of different levels.

(9) Reimburse the expenditure incurred on bringing to hospitals the person injured in road accidents.

(10) Arrange ambulances and other equipments for provideing quick medical assistance to persons injured in road accidents.

(11) Take measures to improve/rectify the causes of road accidents after study and identify and rectify accident prone spots.

(12) Make necessary arrangements for strengthening driving license system.

(13) Make suitable arangements in transport offices for testing fitness of commercial vehicles.

Definitions — 4 Unless otherwise expected in any reference, in these rules :—

- Fund means Chhattisgarh Road Safety Fund.
- Act means MV Act 1988
- State means State of Chhattisgarh.

Sources of the Fund — 5 (1) The entire amount collected by Police department through compromising fee under MV Act 1988 under head 0041-tax on vehicle 800-other receipts 0761-compounding fee 103-receipt under fine. 0301-amount collected by transport department 0302-Amount collected by police department (Traffice police/ Civil police).

(2) Financial grants received from Government of Chhattisgarh or Government of India.

Territorial Limit — 6 Such works as permissibel under these rules can be done in entire Chhattisgarh.

Fund Management Committee

7 (1) The Home Department shall be the administrative department for this Fund and this Fund shall be managed by the Committee constituted as under :—

(i) Director General of Police, Chhattisgarh-Chairman
(ii) Additional Director General of Police, Police Headquarter Chhattisgarh-Secretary.
(iii) Additional Transport Commissioner, Chhattisgarh-Joint Secretary
(iv) Assistant Inspector Genral (Traffic), Police Headquarter, Chhattisgarh-Member.
(v) Chief Engineer, Pulic Works Department. Chhattisgarh-Member
(vi) Director, Public Health Services, Chhattisgarh-Member
(vii) Director, School Education Services, Chhattisgarh-Member
(viii) Director, Urban Development Authority, Chhattisgarh-Member
(ix) Director, Higher Education, Chhattisgarh-Member.

Powers and Functions of the Fund Management Committee.

8. (1) The Committee shall select and approve the projects funded by this Fund.

(2) The Committee shall monitor the physical and financial progress of the approvaed projects.

(3) The Committee shall ensure maintenance of account of the Fund as per rules.

Conditions for the projects funded by the Fund

9. The conditions for the projects funded by the Fund shall be as under :—

(1) The selection of the projects shall be in accordance with the standard prescribed from the time to time by state or central government.

(2) Only such projects/plans shall be funded from the fund that can be completed in only one time.

(3) Salary of the general personnel of the road safety cell and the establishment/office expenditure shall be made from the fund after approval by fund Management Committee.

(4) No amount related to the Fund shall be invested under any circumstances for earning interest through fixed deposit scheme or by giving loans.

(5) The amount sanctioned from the Fund shall be utilized only for the purpose for which it has been sanctioned.

Procedure for Submission of Proposals to fund Management Committee

10 (1) Additional Director General of Police (Trafice), after examining the proposals and schemes relate to road safety will submit it for consideration of the Fund Management Committee.

(2) After the approval of proposals/projects by the Fund Management Committee, formal administrative and financial sanction for funding will be issued by the Home Department.

Responsibility for Execution of Schemes Financed by the Fund

11 (1) The coordination of necessary actions related to the successful implementation of schemes will be coordinated by the Additional Director General of Police (Traffice). The Head of the concerned department will be responsible for the proper implementation and regular supervision of the construction, sutable maintenance and repair etc of equipments purchased from the Fund.

(2) The concerned Head of the department shall be responsible for the implemetation of the schemes in their respective jrisdiction. They will supervise, monitor and review financial and physical progress of the Schemes. The responsibility of issuing the certificate of completion of the schemes will be of the senior most district level officer of the concerned department.

Audit and Maintenance of Records of the Fund

12 (1) The Police Head Quarter shall keep suitable records of the expenditure incured from the Fund as per the provisions of the Rule of Chhattisgarh Financial Code and the Treasury Code and this will be reconciled with the records of the Accountant General (Accounts and Entitlement) Chhattisgarh, Raipur. Before the closure of yearly accounts, the reconciliation will be done and the orders relate to the adjustments will be made availabel to the office of the Account and General (A&E) Chhattisgarh, Raipur.

(2) The arrangement for surrender of the amount balance/unused at end of the financial year into the Consolidated Fund of the State from the amount made available in the Fund will be such that the amount made available from the revenue account to public account will be used as per rules and the amount unused will remain with the Fund. This amount will not be surrendered the end of the financial year.
(3) No amount of the Fund will be invested in the project.
(4) The audit of this account will be done by the Accountant General (Audit) Chhattisgarh, Raipur.
(5) A detailed statement of the expenditure incurred from the Fund and income from the Fund will be made available to the State Government from time to time and on as required basis by the Police Head Quarters.
(6) The amount received from the allotment through the budget from Chhattisgarh Government in the Fund that has not been used at the end of financial year in the prescribed works/items for the financial year will be surrendered within stipulated time in the account head and the information related to it shall be made available to the Accountant General (Account and Entitlements) Chhattisgarh, Raipur.
(7) If any modification/change/amendment is required to be done in the rules, it will be done with the prior consent of the Accountant General (Audit) Chhattisgarh, Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पॉल, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	टिमरलगा प.ह.नं. 42	4.773	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सोनाडुला प.ह.नं. 19	0.415	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 383/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-बोडरीदादर, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
931	0.09
943/4	0.04
933	0.01
947	0.04
934	0.04
937	0.03
949/8	0.09
943/2	0.01
935	0.06
936	0.04
938	0.01
948	0.09
945	0.04
926	0.01
949/9	0.07
943/3	0.03
946	0.03
944	0.04
1003/1	0.12
1003/3	0.13

	(1)	(2)
	1003/2	0.23
	1003/4	0.01
	1002	0.23
	998	0.09
योग	24	1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 385/अ.वि.अ./भू-अर्जन/15 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुलिया, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	300	011
	301	0.01
	298	0.05
	288	0.02
	303	0.01
	302	0.10
	296/1	0.16
	296/2	0.04
	295	0.06
	287/1	0.01
	287/2	0.29
	289	0.12
	291	0.07
	290/1	0.16
	290/2	0.06
	292/1	0.01
योग	16	1.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 387/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-बांसकाटा, प.ह.नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
576	0.37
579/1	0.05
579/2	0.05
578	0.02
581/1	0.13
581/2	0.06

	(1)	(2)
	581/5	0.15
	581/4	0.13
	582	0.07
	584/1	0.01
	584/2	0.01
	82/3	0.09
	584/3	0.02
	244/1	0.03
	584/4	0.02
	113	0.06
	317/54	0.01
	317/57	0.01
	236/1	0.06
	237/1	0.15
	90	0.05
	238/1	0.02
	139/1	0.02
	240/1	0.03
	238/4	0.02
	239/4	0.01
	240/4	0.02
	241	0.01
	123	0.03
	115	0.34
	242	0.13
	243	0.05
	210/1	0.06
	121	0.01
	122	0.03
	120	0.01
	244/2	0.03
	244/3	0.01
	116	0.25
	114	0.08
	83/3	0.06
	83/1	0.12
	84	0.09
	85	0.05
	86	0.04
	91	0.02
योग	46	3.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 389/अ.वि.अ./भू-अर्जन/17 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीपार, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
278	0.02
276	0.14
275	0.15
274	0.12
267	0.18
266	0.02
764	0.06
265	0.15
262	0.02
264/2	0.04
60	0.05
59	0.02
58	0.15
61	0.05
43	0.06
54	0.28
53	0.10
46	0.05
45/1	0.03
40/1	0.20
40/3	0.01
36	0.14
39	0.02
38	0.05
34	0.01

	(1)	(2)
	8	0.24
	7	0.13
	2	0.04
	1	0.10
	869/2	0.06
	868	0.01
	869/1	0.05
	897/2	0.04
	900	0.06
	902	0.05
	904	0.03
	909	0.07
	899	0.01
	893	0.07
	797	0.05
	910	0.01
	892	0.01
	794	0.12
	768	0.02
योग	44	3.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 391/अ.वि.अ./भू-अर्जन/16 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-मनकी, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	505/1	0.12
	505/2	0.05
	505/3	0.08
	506	0.02
	546	0.20
	552	0.07
	547	0.32
	548	0.12
	549	0.10
योग	9	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 393/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी खुर्द, प.ह.नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
251	0.17
252/1	0.02

(1)	(2)
257/2	0.20
252/2	0.07
250	0.10
246	0.03
249	0.02
257/1	0.11
245	0.06
230	0.21
243/1	0.01
242	0.17
292	0.11
212	0.23
213	0.01
237	0.05
236	0.12
235/1	0.06
235/2	0.07
222	0.18
229	0.09
231	0.01
295	0.25
293	0.08
294	0.07
371	0.06
372	0.02
381/1	0.13
381/2	0.01
योग 29	2.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 395/अ.वि.अ./भू-अर्जन/09 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनामुंदी, प.ह.नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121	0.07
124/1	0.04
122	0.09
119	0.01
69	0.03
123	0.05
124/2	0.04
125	0.10
126	0.18
134	0.01
127	0.04
129	0.12
130	0.03
131	0.08
117	0.08
132/1	0.08
135	0.02
147	0.40
161	0.03
163/2	0.04
132/2	0.13
133	0.32
136	0.02
157	0.05
164	0.06
148	0.17
352	0.01
356	0.01
149	0.12
151	0.01
152	0.01
154	0.10
155/1	0.04
81	0.01
155/2	0.08
156	0.04
334	0.01

	(1)	(2)
	336	0.02
	452	0.24
	515	0.02
	160	0.06
	358	0.02
	162	0.01
	163/3	0.01
	71	0.01
	79	0.07
	45/1	0.05
	58	0.04
	54/1	0.01
	54/2	0.01
	46	0.09
	47	0.12
	186	0.10
	331/1	0.01
	331/2	0.04
	332	0.03
	333	0.01
	330/2	0.02
	353	0.05
	354	0.01
	355	0.01
	472	0.12
	506	0.09
	507	0.04
	510/1	0.02
	510/2	0.03
	511	0.04
	516	0.25
	517/3	0.01
	517/7	0.02
	517/8	0.04
	480/2	0.11
	480/3	0.05
	512/3	0.07
	512/4	0.02
	473	0.07
	517/2	0.01
योग	77	4.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 395/अ.वि.अ./भू-अर्जन/14 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोमाखान, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
53	0.02
54	0.30
70/2	0.02
69	0.05
71	0.07
72	0.20
73	0.24
74	0.06
67	0.22
77/2	0.01
81/1	0.03
81/2	0.02
198	0.34
199	0.06
197	0.05
202	0.28
200	0.03
201/1	0.14
201/2	0.02
237	0.01
216	0.23
217	0.57
254	0.03
241	0.50
242/1	0.16

	(1)	(2)
	242/3	0.09
	242/4	0.10
	236	0.03
योग	28	3.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 399/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोचर्रा, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
662	0.07
664	0.08
663	0.13
660/1	0.05
227/4	0.07
414/3	0.06
660/2	0.03
660/4	0.07
414/2	0.01
659/5	0.01
659/6	0.02
672/1	0.10
674	0.09
675/4	0.02
672/2	0.01
675/1	0.06
673/1	0.05
673/4	0.05
676/2	0.04
673/2	0.08
673/5	0.04
676/1	0.04
676/4	0.01
649/1	0.02
673/10	0.04
676/3	0.06
673/3	0.02
673/11	0.04
675/2	0.06
675/3	0.02
676/6	0.03
676/9	0.03
677/1	0.01
50/46	0.13
65/13	0.06
677/2	0.05
65/14	0.03
677/3	0.01
677/4	0.04
677/7	0.04
677/5	0.04
677/6	0.04
655	0.09
305	0.03
299	0.02
203	0.01
654	0.05
227/1	0.12
227/2	0.07
230	0.01
205	0.04
303/1	0.01
651/1	0.12
651/2	0.09
642/1	0.04

(1)	(2)
651/3	0.06
642/3	0.04
642/2	0.15
643/1	0.01
69	0.16
72	0.27
50/45	0.03
73/2	0.13
228	0.04
232	0.08
202	0.03
73/3	0.15
215	0.09
150	0.18
226	0.05
431/1	0.01
304	0.03
153	0.03
157	0.18
158	0.07
183	0.04
227/3	0.06
67/3	0.01
229	0.01
231	0.02
220	0.19
408	0.03
216	0.04
393	0.02
213	0.07
214	0.04
429	0.01
211	0.03
387	0.04
398	0.01
390	0.04
391/3	0.01
435	0.04
430	0.01
424/1	0.07
424/2	0.02
419/1	0.12
419/2	0.01
418/1	0.02
418/2	0.04
409/2	0.03
212	0.03
209/1	0.03
295	0.02
294/1	0.03
284	0.05
286	0.01
278	0.11
283/6	0.06
287/1	0.05
283/4	0.01
279	0.02
योग 112	5.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 401/अ.वि.अ./भू-अर्जन/19 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प.ह.नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
660/1	0.03

(1)	(2)
660/2	0.03
662/1	0.07
1624	0.09
661	0.08
662/2	0.09
654	0.60
665	0.06
666	0.19
667	0.12
1512	0.03
1908/1509	0.40
678/1	0.08
680/1	0.08
678/2	0.05
680/2	0.12
682/2	0.03
1505/2	0.05
650	0.01
679/1	0.20
679/2	0.05
683/3	0.06
681	0.13
1450	0.04
683/5	0.11
682/1	0.03
682/3	0.06
677/1	0.02
1461	0.13
1457	0.10
1677/1	0.12
1458	0.11
1455	0.32
1451	0.08
1449	0.07
1423	0.25
1508	0.06
1509	0.09
1511	0.05
1517	0.04
1676	0.07
1623	0.16
1628/1	0.13
1628/2	0.08
1630	0.05
1672	0.04
1693	0.12
1696	0.01
1703	0.03
1730/3	0.03
1702	0.01
1704/1	0.06
1700	0.01
1730/1	0.02
1731	0.02
1732/5	0.01
1732/4	0.05
1737	0.07
1739	0.06
1745	0.01
1746	0.03
1747	0.01
1514	0.07
योग 63	5.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 404/अ.वि.अ./भू-अर्जन/20 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-करहीडीह,, प.ह.नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23	0.30
18/1	0.01
30	0.04
29/1	0.03
29/2	0.02
33	0.02
35	0.05
37	0.07
38/2	0.02
117	0.10
119	0.03
120	0.03
118/3	0.01
126	0.04
125/1	0.05
127	0.14
212	0.09
106	0.03
163/1	0.01
163/2	0.02
164	0.06
165	0.02
77	0.01
103	0.07
84	0.05
83	0.02
85/4	0.03
65	0.01
53	0.06
64	0.04
63	0.02
86	0.14
59/1	0.11
43	0.13
58/1	0.18
211/2	0.01
58/2	0.02
52/2	0.03
54	0.01
52/1	0.03
211/1	0.01
211/3	0.01
210/4	0.02
215	0.07
216	0.07
221	0.12
220/1	0.06
220/2	0.04
220/3	0.02
253/1	0.06
252	0.01
229/1	0.02
योग 52	2.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 406/अ.वि.अ./भू-अर्जन/21 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-खट्टाडीह, प.ह.नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
169	0.08
253	0.02
271	0.14
260	0.16
375	0.08

	(1)	(2)
	168/3	0.06
	254/1	0.05
	261/1	0.01
	254/2	0.04
	261/3	0.03
	254/3	0.05
	256	0.99
	272	0.01
	257	0.11
	258	0.02
	259	0.13
	255	0.04
	281	0.10
	382	0.01
	282	0.03
	286	0.02
	356	0.04
	294	0.06
	283	0.06
	285	0.01
	284	0.02
	352	0.01
	355	0.04
	293	0.03
	357	0.04
	359	0.08
	364	0.02
	365	0.03
	383	0.29
	381	0.05
	262/2	0.04
	268/1	0.04
	298/1	0.07
	268/2	0.06
	269	0.05
	315	0.09
	320	0.02
	318	0.05
	319	0.07
योग	44	3.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 407/अ.वि.अ./भू-अर्जन/07 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी कला, प.ह.नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
413	0.01
412	0.04
418	0.07
426	0.01
898	0.15
425/1	0.05
899/2	0.07
424/1	0.22
927/1	0.52
424/2	0.01
436/2	0.08
927/2	0.15
423	0.18
433	0.01
435	0.03
530/2	0.14
434/1	0.07
896	0.01
434/2	0.08
438	0.02
437/1	0.01
437/2	0.11
437/3	0.03
468/2	0.01

(1)	(2)
468/3	0.10
468/1	0.36
443	0.03
469	0.09
525/1	0.24
525/2	0.24
525/3	0.16
526/3	0.05
526/5	0.02
526/4	0.01
526/6	0.05
527	0.01
558	0.23
908	0.01
528	0.02
529/3	0.20
529/1	0.07
529/2	0.04
531	0.02
530/1	0.20
559	0.02
778	0.05
780	0.02
902	0.01
904	0.07
906	0.01
781	0.01
779	0.03
905	0.02
926	0.08
925	0.30
897	0.01
899/1	0.08
900	0.44
903	0.02
907	0.08
909	0.16
913	0.14
916	0.05
917	0.01
918	0.02
919	0.06
526/10	0.04
योग 67	5.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 409/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-मातगुड़ा, प.ह.नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157/1	0.12
159/4	0.09
160	0.14
157/2	0.02
157/5	0.02
157/3	0.16
155	0.19
151/1	0.50
152	0.19
154/1	0.27
153/1	0.02

	(1)	(2)
	153/2	0.16
	149	0.21
	115	0.09
	98	0.08
	150	0.34
	144/2	0.03
	146	0.24
	145	0.06
	142	0.15
	141	0.30
	102	0.10
	124/1	0.38
	125	0.03
	121	0.27
	101/1	0.15
	99	0.20
	97/2	0.09
	86	0.12
	85	0.19
	157/4	0.09
योग	31	5.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 411/अ.वि.अ./भू-अर्जन/18 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-टेमरी, प.ह.नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1245/1	0.02
1245/2	0.04
1245/3	0.05
1245/4	0.01
1244	0.02
210	0.01
211	0.22
212	0.21
207/1	0.16
142/3	0.03
560	0.02
206/2	0.02
206/3	0.01
188	0.13
170	0.07
142/2	0.11
551	0.02
559	0.02
187	0.05
142/1	0.03
221	0.04
520	0.04
189	0.04
184	0.01
186/2	0.01
171	0.35
1304	0.02
144	0.08
98	0.55
90	0.04
77	0.16
78	0.25
71/2	0.14
293	0.03
373	0.23
364/1	0.01
374	0.01
575	0.02
573	0.01
574/2	0.01
613	0.01
614/4	0.03
616	0.04
678/1	0.04
1052	0.02
362	0.01
361/2	0.01

(1)	(2)
493	0.03
361/3	0.04
360	0.61
79	0.14
70	0.25
220	0.01
222	0.01
1311	0.04
225	0.06
1310	0.03
1312	0.02
227	0.02
802/2	0.07
228	0.03
229/2	0.02
229/1	0.02
1241	0.07
1255	0.01
1256	0.05
1254	0.04
1307	0.03
1308	0.02
1315	0.01
1317/1	0.07
1317/2	0.07
370	0.01
1306	0.02
385	0.06
386/3	0.02
408	0.05
407	0.01
409	0.06
410	0.03
458	0.03
459	0.01
1130	0.05
460/1	0.07
461	0.04
501	0.05
462	0.01
500	0.02
492/1	0.06
492/2	0.06
491	0.01
496	0.05
497	0.03
488	0.04
553	0.02
519	0.01
561	0.07
612	0.04
574/1	0.01
614/3	0.02
615	0.05
622	0.03
851	0.02
632	0.01
1054	0.03
633	0.02
623	0.01
635	0.02
636	0.03
677	0.07
679	0.01
682	0.03
683	0.03
684	0.04
685	0.02
764	0.03
765	0.03
808	0.11
809	0.08
807	0.03
798	0.01
1044/2	0.01
1045	0.02
1053	0.01
1055	0.03
1057	0.09
1116	0.03
1117	0.05
1188/1	0.03
384/1	0.02
678/2	0.02
योग 131	7.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्रमांक/115/ELU/नग्रानि/2017.— एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि चिरमिरी के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्ट्रेट बैकुण्ठपुर, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, बैकुण्ठपुर तथा नगर पालिक निगम, चिरमिरी, में दिनांक 01-02-2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

चिरमिरी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

चिरमिरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लाई एवं हर्रा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम हर्रा, दर्रीटोला, लोहारी, नवापारा, मोरगा, सरभोका पश्चिमी चिरमिरी कालरी, कोरिया कालरी, उत्तर चिरमिरी कालरी एवं डोमन हिल कालरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम डोमनहिल कालरी, दुबछोला एवं भण्डारदेई, ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम भण्डारदेई, भुकभुकी, चिरमिरी कालरी, खुरासिया कालरी, एन.सी.पी.एच. कालरी, सरभोका, सीरियाखोह एवं लाई ग्रामों की पश्चिम सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

No./115/ELU/T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Chirmiri Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 01-02-2017 during office hours in the office of Collectorate Office Baikunthpur, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Baikunthpur and Nagar Palik Nigam Chirmiri.

The limit of Chirmiri Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Chirmiri Planning Area

NORTH : Village Lai and Harra Northern Limits of Villages.

EAST : Village Harra, Darritola, Lohari, Nawapara, Morga, Sarbhoka, West Chirmiri Collery, Korea Collery, Northern Chirmiri Collery and Doman Hill Collery Eastern limits of Villages.

SOUTH : Village Doman Hill Collery, Dubchhola and Bhandardei, Southern Limits of Villages.

WEST : Village Bhandardei, Bhukbhuki, Chirmiri Collery, Khurasiya Collery, N.C.P.H. Collery, Sarbhoka, Siriyakhoh, Lai Western Limits of Villages.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Baikunthpur, District-Korea Chhattisgarh, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Baikunthpur, District-Korea Chhattisgarh.

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद छ.ग.

बालोद, दिनांक 14 फरवरी 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/205/ELU/अर्जुन्दा/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के तहत अर्जुन्दा वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 12 अगस्त 2016 के भाग (1) पृ. क्र. 1457-1458 में प्रकाशित किया गया है. उक्त सूचना को छ.ग. राजपत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2016 के भाग (1) पृ.क्र. 1783-1784 में पुन: प्रकाशित किया गया है.

अत: दिनांक 12 अगस्त 2016 को प्रकाशित सूचना को मान्य करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को प्रकाशित सूचना को निरस्त किया जाता है.

बालोद, दिनांक 14 फरवरी 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/207/ELU/डौण्डीलोहारा/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के तहत डौण्डीलोहारा वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 25 नवम्बर 2016 के भाग (1) पृ. क्र. 2098 में प्रकाशित किया गया है. उक्त सूचना को छ.ग. राजपत्र दिनांक 06 जनवरी 2017 के भाग (1) पृ.क्र. 36-37 में पुन: प्रकाशित किया गया है.

अत: दिनांक 25 नवम्बर 2016 को प्रकाशित सूचना को मान्य करते हुए दिनांक 06 जनवरी 2017 को प्रकाशित सूचना को निरस्त किया जाता है.

बालोद, दिनांक 20 फरवरी 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/227/ELU/गुरूर/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के तहत गुरूर वर्तमान भूमि उपयोग के अंगीकरण की सूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के भाग (1) पृ. क्र. 2227 में प्रकाशित किया गया है. उक्त सूचना को छ.ग. राजपत्र दिनांक 06 जनवरी 2017 के भाग (1) पृ.क्र. 37-38 में पुन: प्रकाशित किया गया है.

अत: दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित सूचना को मान्य करते हुए दिनांक 06 जनवरी 2017 को प्रकाशित सूचना को निरस्त किया जाता है.

बालोद, दिनांक 20 फरवरी 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/229/ELU/अर्जुन्दा/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के तहत अर्जुन्दा वर्तमान भूमि उपयोग के अंगीकरण की सूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के भाग (1) पृ. क्र. 2228 में प्रकाशित किया गया है. उक्त सूचना को छ.ग. राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 2017 के भाग (1) पृ.क्र. 198-199 में पुन: प्रकाशित किया गया है.

अत: दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित सूचना को मान्य करते हुए दिनांक 27 जनवरी 2017 को प्रकाशित सूचना को निरस्त किया जाता है.

बालोद, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक/237/ELU/डौण्डीलोहारा/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोटेरा, धनगांव, अंडी, सम्बलपुर, बडगांव की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बडगांव, खडेनाडीह, जोगीभाट की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम जोगीभाट, बटेरा, डौण्डीलोहारा, कसही की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कसही, धनगांव, कोटेरा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद.

No./237/ELU/Dondilohara/T&CP/2016.—Notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map & register of Dondilohara planning area so prepared under published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Dondilohara Planning Area

NORTH : Village Kotera, Dhangaon, Andi, Sambalpur village Bargaon upto Northe Boundary.
EAST : Village Bargaon, Khadenadih, Village Jogibhat upto East Boundary.
SOUTH : Village Jogibhat, Batera, Dondilohara Village Kasahi upto South Boundary.
WEST : Village Kasahi, Dhangoan Village, Kotera upto West Boundary.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisagrh Gazette.

Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th March, 2017

No. 417/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II).—The following officiating District Judges of Higher Judicial Service are, hereby, issued certificate of confirmation in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

TABLE

1. Shri Manoj Kumar Prajapati
2. Shri Ajit Kumar Rajbhanu
3. Ku. Sunita Sahu
4. Smt. Kirti Lakra
5. Shri Niranjan Lal Chouhan
6. Smt. Usha Gendle
7. Smt. Sunita Toppo
8. Shri Purushottam Singh Markam
9. Smt. Nidhi Sharma Tiwari
10. Smt. Mamta Shukla

Bilaspur, the 30th March, 2017

No. 419/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II).—The period of officiation of the following Officiating District Judges of Higher Judicial Service as specified in column No. (2) of the table below is, hereby, extended for a further period of one year :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of appointment in H.J.S. (3)
(1)	Shri Yashwant Wasnikar	04-03-2015
(2)	Smt. Swarnalata Toppo	09-03-2015

Bilaspur, the 31st March 2017

No. 424/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and ;

The following members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge.	Durg	Raipur	Raipur	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Radhakishan Agrawal Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal.	Raipur	Dueg	Durg	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 3rd April 2017

No. 428/Confdl./2017/II-2-1/2017.—Smt. Tajeshwari Devi Dewangan, Member of Higher Judicial Service, presently posted as IX Additional District & Sessions Judge, Raipur, is hereby, assigned the additional charge of the court of Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raipur for the duration in which the Presiding Officer posted in the Court of Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raipur remains on maternity leave.

Bilaspur, the 3rd April 2017

No. 3213/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

(1) Shri Lokesh Kumar, J.M.F.C., Raipur
(2) Shri Gulapan Ram Yadav, J.M.F.C. Raipur
(3) Ku. Amita Jaiswal, J.M.F.C. Raipur
(4) Ku. Deepti Singh Gaur, J.M.F.C. Raipur
(5) Smt. Priyanka Agrawal, J.M.F.C. Raipur
(6) Shri Aslam Khan, J.M.F.C. Raipur
(7) Shri Shiv Prakash Tripathi, J.M.F.C. Raipur
(8) Shri Satyanand Prasad, J.M.F.C. Raipur
(9) Ku. Neha Usendi, J.M.F.C. Raipur
(10) Shri Anant Deep Tirkey, J.M.F.C. Raipur
(11) Shri Bhavesh Kumar Watti, J.M.F.C. Raipur
(12) Shri Vivek Netam, J.M.F.C. Raipur
(13) Ku. Bhawana Nayak, J.M.F.C. Raipur
(14) Smt. Kanchan Lata Achala, J.M.F.C. Raipur

Bilaspur, the 4th April 2017

No. 3250/Rules/2017.—In exercise of the powers conferred under Articles 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh is pleased to make the following further amendments in the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007, which shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette :—

AMENDMENTS

Rule 23 (1) (iv) of High Court of Chhattisgarh Rules, 2007 be substituted by the following provision :—

"(iv) Relating to award or termination of contract/tender concerning Government/Public Undertaking/ Local Bodies/Statutory Bodies."

Bilaspur, the 7th April 2017

No. 434/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted as District Judge from the date she assume charge of their office and ;

The following members of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date she assume charge of her office :—

TABLE

Sl. No.	Name & presently posted as	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Smt. Sushma Sawant, Principal Judge, Family Court.	Bilaspur	Mahasamund	Mahasamund	District & Sessions Judge.

By the order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.